''दुश्मनों की ज़रूरत किसे हाथ अपनों के हम पे उठे''

कमला भसीन

बाप-बेटी बलात्कार

पहली मई के इंडियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में खबर थीः अपनी बेटी का 1500 बार से भी अधिक बलात्कार करने के जुर्म में एक बाप को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेटी की उम्र अब सोलह बरस है। वह तेरह साल की थी तब से उस के बाप ने उससे बलात्कार शुरू किया था। मां को पता था लेकिन वह खामोश थी, मजबूर थी शायद। बेटी के एक बार गर्भ ठहरा तो मां ने बच्चा गिरवाया, लेकिन बलात्कार फिर भी नहीं रुका। बाद में बाप ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और बेटी के साथ जबरदस्ती करता रहा। जब बेटी से और नहीं सहा गया और मां भी घर से निकाल दी गई तो दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने तथाकथित पिता और पति के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई। आगे केस का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर कम से कम एक वहशी के खिलाफ़ आवाज़ तो उठी, ''सुरक्षित'' परिवारों की अंदरूनी सड़न पर से ढक्कन तो उठा।

बरसों से, या सदियों से यह सड़न परिवारों में रही है, पर उस पर ढक्कन बंद रहा। अब इस गंदगी की बुदबुदाहट से ढक्कन उठने लगे हैं। शायद इसलिए कि हर जगह औरतों के अधिकारों की बात होने लगी है। औरतों को इस बात का अहसास हो रहा है और कराया जा रहा है कि वे भी इंसान हैं, उनके भी मानव अधिकार हैं, ज़ोर-जबरदस्ती सहना उनकी किस्मत नहीं है। यह अहसास महिला आंदोलन की देन है। जगह-जगह शुरू किए गए महिला मंडलों, महिला समूहों, शिक्षा केंद्रों, बलात्कार-संकट केंद्रों ने औरतों को बोलने का मौका और हिम्मत दी है। जगह-जगह खोले जाने वाले महिला-पुलिस केंद्रों, सरकारी क़ानूनों ने भी औरतों का हौसला बढ़ाया है।

इसी माहौल का नतीजा है कि आज बाप-बेटी बलात्कार जैसी समस्या भी खुलकर बाहर आ रही है। हर हफ्ते इस प्रकार की कोई न कोई खबर छपती है। पिछले सात-आठ साल से हमने अपने महिला-शिविरों में परिवार के अंदर होने वाली यौन हिंसा पर बातचीत शुरू की तो पाया कि यह कोई अनहोनी बात नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों की महिला कार्यकर्ताओं ने ऐसे परिवारों के बारे में बताया जहां बाप बेटी का बलात्कार करता रहा है। कानपुर और दिल्ली के महिला-संकट केंद्रों में आने वाली 30-35 प्रतिशत लड़कियां इसलिए

घर छोड़ कर भागी क्योंकि उनके पिता उनका बलात्कार करते थे। बलात्कार और यौन हिंसा के आंकड़े हमें बताते हैं कि ज्यादातर बलात्कार जान पहचान के लोग यानि रिश्तेदार और परिवार के दोस्त करते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि ऐसे बलात्कार हर वर्ग में होते हैं, पढ़े-लिखे, अनपढ़, अमीर-गरीब, डाक्टर, वकील, मज़दूर सब करते हैं। बलात्कार करने वाले शराबी या मानसिक रोगी ही नहीं होते। अच्छे, पढ़े-लिखे, "सज्जन" पिताओं का एक छिपा हुआ बलात्कारी रूप भी हो सकता है और होता है।

यह जुर्म कोई नया जुर्म हो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं, और सदियों से जानते हैं कि ऐसा होता है। तभी तो समाज ने इसके खिलाफ़ कड़े क़ानून बनाए हैं। इसीलिए हर समाज में मां, बेटी, बहन की गाली इतनी बुरी मानी जाती है। पूरे वक्त मर्द एक दूसरे को ये गाली देते हैं—यानि कहते हैं—तुम इतने गए गुज़रे हो कि तुम अपनी बेटी, मां या बहन के साथ व्यभिचार करते हो। पर इन गालियों का असर नहीं हैं क्योंकि व्यभिचार चालू है।

यह भी पितृसत्ता का एक और नमूना है। मर्द हर जगह मनमानी करता है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है। अपनी हर भूख को अपने तरीके से पूरी करता है। न शर्म है, न समाज का इतना डर कि वो वहशीपन छोड़ दे। इसीलिए तो घरों के अंदर इतनी तादाद में औरतों पर हिंसा होती है।

पर यह खामोशी क्यों?

यह पूछना बहुत ज़रूरी है कि समाज क्यों इस बर्बरता पर खामोश रहता है, क्यों इस पर पर्दा डाले रखता है। लगभग सौ साल पहले महाराष्ट्र

में ज्योती बा फूले और सावित्री फूले ने भी परिवार में होने वाले बलात्कारों का भंडा फोड़ा था। उन्होंने देखा कि "कुलीन" घरों में बाल-विधवाएं गर्भ धारण करती थीं। यानि वो अपने देवर, जेठ, ससुर की हवस का शिकार हो जाती थीं। जब फूले ने ऐसी स्त्रियों को अपने घर में जगह दी तो शहर के कुलीन ब्राह्मणों ने शाबाशी देने की जगह उन्हें बदनाम करना शुरू किया।

पितृसत्तात्मक ढांचे में शायद पुरुष दूसरे पुरुषों को चुनौती नहीं देना चाहते। पुरुष सत्ता पर प्रश्न नहीं उठने देना चाहते। चूंकि परिवार पुरुष सत्ता की जड़ है, वह पुरुष सत्ता को पनपाता है, परिवार के बारे में और भी ज्यादा सन्नाटा है। "घरेलू मामला" है कहकर परिवार के अंदर होने वाली असमानता, अन्याय, हिंसा को पनपने दिया जाता है। नतीजा यह है कि आज औरतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह उनका अपना परिवार है। परिवार में ही लड़कियों की भ्रूण हत्या, बाल हत्या होती है, उन्हें भोजन, शिक्षा, मान, प्यार कम दिया जाता है। उन पर यौनिक, मानसिक, शारीरिक अत्याचार भी हो सकता है। परिवार वाले लड़कियों को ग़ैर-मर्दों से डरना और बचना तो सिखा देते

हैं। कम से कम इसके बारे में उन्हें आगाह करते रहते हैं, उन्हें बाहर आने-जाने नहीं देते, उन्हें पर्दा करना सिखाते हैं। पर घर के मर्दों से जो उन्हें खतरा है उस पर सब चुप्पी साधे रहते हैं।

बच्चियों की बौखलाहट और खामोशी

यह अजीब बात है कि बाप-बेटी बलात्कार का भांडा फोड़ने की ज़िम्मेदारी मासूम बच्चियों और कुछ औरतों पर पड़ती है। उन बेटियों की बौखलाहट का अंदाजा लगाना आसान नहीं है जो 5 से 20 बरस की उम्र में अपने पिता की हवस का शिकार होती हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि वो इस आक्रमण को क्या समझें, कैसे समझें और कैसे उसका मुकाबला करें। अपने बाप की शिकायत किससे करें? अगर मां से कहेंगी तो वह उन पर एतबार करेगी क्या? और अगर एतबार कर भी लेगी तो बेबस मां करेगी क्या? वो तो खुद पिता के अत्याचार का शिकार होती है, हर तरह से उस पर निर्भर होती है। अधिकतर मांएं अपनी बेबसी के कारण जानते-बूझते हुए भी खामोश रहती हैं। अगर कुछ बोलती भी हैं तो चुप करा दी जाती हैं। कई क़िस्से ऐसे हैं जहां बेटी ने शिकायत की पर कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी। वह लड़की बदनाम और असहाय हो कर रह गई। इस अत्याचार पर खामोश रहना उसे और बढ़ावा देना है। इसलिए आज यह ज़रूरी है कि औरतें, महिला समूह, स्कूल, सामाजिक कार्यकर्ता बाप-बेटी बलात्कार के बारे में पता करें, सचेत रहें। वो घरों और स्कूलों में ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चियां अत्याचार के बारे में बोलने से घबराएं नहीं। जो लड़कियां और औरतें बलात्कार या यौन हिंसा के खिलाफ़ बोलती हैं वे हिंसा की शिकार नहीं हैं। वे तो हिंसा से मुक्ति चाहने वाली हैं, वे जुझारू हैं, सबलाएं हैं।

'सबला' के पाठकों से हमारा अनुरोध है कि अगर उन्हें बाप-बेटी बलात्कार का कहीं भी पता लगे तो हमें उस के बारे में लिखें, उसके बारे में समाज में चर्चा करें। और बेटियों को इस नर्क से छुटकारा दिलाएं।

स्कूलों, महिला समूहों और परिवारों में बच्चियों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि मर्द का कौन सा स्पर्श ठीक है, कौन सा गलत। उन्हें यह अहसास दिलाना चाहिए कि उनका शरीर उनका अपना है। उसे गलत तरीके से छूने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वह पिता हो, या अध्यापक, भाई हो या डाक्टर या कोई और। उन्हें इस बात की हिम्मत देनी चाहिए कि वे किसी के गलत स्पर्श के बारे में अपनी मां, बड़ी बहन, दोस्त, अध्यापक आदि को बताने में घबराएं नहीं। हम सब को ही सतर्क रहना होगा और अपनी बच्चियों को डर और अत्याचार से मुक्त करना होगा। जिम्मेदारी हम सब की है। □